झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

पत्रांक– 1721
दि॰– 14/03/17

संकल्प

विषयः– JnNURM के अंतर्गत राँची सिवरेजें–ड्रेनेज (जोन–1) योजना के Independent Review and Monitoring हेतु एजेंसी (IRMA) के रूप में IIT खड़गपुर के असैनिक विभाग को मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन एवं परामर्शी शुल्क का भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची के आलोक में विभिन्न शहरी निकायों के माध्यम से नागरिकों को मौलिक सुविधायें उपलब्ध कराना नगर विकास विभाग का संवैधानिक दायित्व है। इसी क्रम में JnNURM अंतर्गत राँची सिवरेज–ड्रेनेज (जोन–1) योजना, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

2. राँची नगर निगम द्वारा राँची सिवरेज–ड्रेनेज (जोन–1) योजना की निविदा संपन्न कर मे॰ ज्योति बिल्डटेक प्रा॰ लि॰ को कार्यादेश निर्गत किया गया है एवं संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

3. शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 14012/9/IRMA/2015–NURM दिनांक 21.06.2016 द्वारा इस योजना हेतु Independent Review & Monitoring Agency (IRMA) चयन करने का दिशा–निदेश दिया गया है। पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि योजना हेतु 31 मार्च, 2017 तक ही भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिया जायेगा एवं IRMA Report के आधार पर ही योजना की द्वितीय/तृतीय किस्त की राशि निर्गत की जायेगी।

4. उक्त पत्र के कंडिका 2 में निदेश दिया गया है कि अमृत योजना हेतु गठित State Level Technical Committee (SLTC) द्वारा इस योजना के Independent Review and Monitoring हेतु योग्य शैक्षणिक संस्थान (Suitable Academic Institution) का चयन Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) के रूप में किया जाय, जो योजना का Independent Review & Monitoring करने में सक्षम हो। IRMA को Independent Review कार्य हेतु राशि का भुगतान अमृत योजना के Administrative Fund (A&OE) से किया जायेगा।

5. दिनांक 01.08.2016 को अमृत योजना अंतर्गत गठित SLTC की बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत सूचिबद्ध परामर्शी एजेंसियों से IRMA हेतु प्रस्ताव प्राप्त कर, उनमें से सक्षम परामर्शी एजेंसी का चयन IRMA के रूप में किया जाय। चयनित एजेंसी द्वारा JnNURM दिशा–निदेश के आलोक में राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज योजना (जोन–1) का Independent Review & Monitoring का कार्य किया जायेगा।

6. उपरोक्त के आलोक में सूचिबद्ध परामर्शियों से पत्रांक 1069 दिनांक 10.11.2016 द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किया गया था, किन्तु एक भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। पुनः पत्रांक 1135 दिनांक 25.11.2016 द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किया गया, जिसके पश्चात् तीन परामर्शियों से प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन निविदा समिति द्वारा QCBS पद्धति से किया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले संस्था द्वारा इस कार्य हेतु 3,84,75,000/– (तीन करोड़ चौरासी लाख पचहत्तर हजार) रुपये का वित्तीय प्रस्ताव दिया गया था, जो अत्यधिक है। इसलिए निविदा समिति द्वारा यह अनुशंसा गया कि उक्त कार्य हेतु इतनी अधिक राशि व्यय करना उचित नहीं है एवं उक्त निविदा को रद्द किया जा सकता है।

7. निविदा समिति द्वारा उक्त निविदा को रद्द किए जाने के पश्चात् IIT खड़गपुर से राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज (जोन–1) योजना हेतु IRMA के रूप में कार्य करने हेतु पत्राचार किया गया। IIT खड़गपुर के असैनिक विभाग ने इस कार्य को करने हेतु सहमति प्रदान की है। साथ ही कार्य को करने हेतु One Time Charge for review of project document Rs. 2,00,000/- (Two Lakh only) तथा Cost of per Visit Charges for IRMA Service Rs. 50,000/- (Fifty Thousand only) की मांग की है। उक्त राशि का भुगतान अमृत योजना के Administrative Fund (A&OE) से किया जायेगा।

8. Independent Review and Monitoring Agency (IRMA) द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्यों का ब्योरा निम्नवत् है :–

8.1 परियोजना के Design Documents, Bid Document एवं Bid Process की समीक्षा करना।

8.2 योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ होने के पश्चात् संवेदक द्वारा किये जा रहे कार्यों का भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति एवं Quality Assurance को सुनिश्चित करते हुए Commercial & Financial Performance की जाँच करना।

8.3 किन्हीं कारणों से योजना के लागत में अन्तर आता है, तो उससे संबंधित प्रतिवेदन देना।

8.4 विभिन्न Compliance of the Statutory Requirements तथा Safety/Health Management का Monitoring करना।

8.5 इसके विस्थापितों का पुनर्वास उचित तरीके से किया गया है या नहीं इस पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।

8.6 परियोजना के Commissioning एवं Trial runs से संबंधित प्रतिवेदन देना।

8.7 योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात Sewerage Treatment Plant (STP) की Capacity, Functionality, Usage, Performance of the O&M team etc. से संबंधित प्रतिवेदन देना।

9. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में शहरों की स्वच्छता एवं नागरिकों की सुविधाएँ प्रदान करने हेतु IIT खड़गपुर के असैनिक अभियंत्रण विभाग को झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत कार्यहित में मनोनयन के आधार पर राँची सिवरेज एवं ड्रेनेज (जोन–1) योजना का Independent Review and Monitoring Agency के रूप में चयन करते हुए कार्य आवंटित किया जाता है।

10. परामर्शी शुल्क के रूप में IIT खड़गपुर के असैनिक अभियंत्रण विभाग को One time charges for review of project document 2000000/- (दो लाख) रु॰ तथा Cost of per visit charges for IRMA Service Rs. 50000/- (पचास हजार) रु॰ भुगतान किया जायेगा।

11. परियोजना अवधि में IRMA (IIT खड़गपुर) द्वारा अनुमानतः 40 बार राँची सिवरेज–ड्रेनेज (जोन–1) योजना प्रक्षेत्र का भ्रमण किया जाएगा।

12. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 07.03.2017 के मद संख्या 02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

10.3.17

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–JUIDCO/Ranchi/IRMA/974/2016......1721 राँची, दिनांक–14/03/17

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–JUIDCO/Ranchi/IRMA/974/2016......1721 राँची, दिनांक–14/03/17

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, रांची/उपायुक्त, रांची/नगर आयुक्त, रांची नगर निगम/परियोजना निदेशक (तकनीकी), जुडको लि०/असैनिक विभाग, आई०आई०टी० खडगपुर/ श्री कुणाल कुमार, विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

10.3.17

सरकार के प्रधान सचिव।